न्यायालय सहायक कलक्टर (S.D.O.) शिवगंज जिला सिरोही

बइजलास पीठासीन अधिकारी श्री नीरज मिश्र, आर0ए0एस0

प्रार्थीगण

हिन्दुराम पुत्र कानारामजी जाति कलबी व अन्य निवासीगण मनादर तहसील शिवगंज जिला सिरोही

बनाम

अप्रार्थीगण

1.तेजाराम पुत्र पेकाराम जाति कलबी
2.जेपाराम पुत्र पन्नाजी जाति कलबी
3.जेठाराम पुत्र तलसाराम जी जाति कलबी
4.हरतनाराम पुत्र तलसाराम जी जाति कलबी
5.तलसीदेवी पत्नी तलसाराम जी जाति कलबी
6.सजनादेवी पत्नी हिराराम पुत्री तलसाराम जी जाति कलबी
निवासीगण मनादर तह0 शिवगंज
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, शिवगंज

विद्वान अधिवक्ता श्री ऋषि माथुर

विद्वान अधिवक्ता श्री दिलीपसिंह देवडा
अप्रार्थी सं0 1 ता 5

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

रा0प्रा0 पत्र स0 68/2024
दिनांक 14.05.2025

–::आदेश::–

उपरोक्त उनवान प्रकरण में प्रार्थी ने जरिये विद्वान अधिवक्ता श्री ऋषि माथुर ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण व उनके संयुक्त काश्तकारों के संयुक्त खातेदारी, कब्जे काश्त एवम् हक अधिकार की कृषि भूमि ग्राम मनादर पटवार हल्का मनादर–2 भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र कैलाशनगर तहसील शिवगंज जिला सिरोही (राज.) में आई हुई हैं जिसके खसरा नम्बर 2704, 2705, 2706, 2707 रकबा क्रमशः 5.2771, 0.3318, 0.0243, 14. 0426 कुल किता 4 कुल रकबा 19.6758 हैक्टेयर भूमि है। पद संख्या एक में वर्णित कृषि भूमि खसरा संख्या 2707 और शेष तीन खसरा नम्बरान की भूमि प्रार्थीगण व उनके संयुक्त खातेदारान के खातेदारी और कब्जे काश्त की पुश्तैनी कृषि भूमि है। प्रार्थीगण व उनके संयुक्त खातेदारान उक्त भूमि पर पिछले कई वर्षों से लगातार काबिज होकर काश्त करता आ रहा है। प्रार्थीगण व उनके संयुक्त खातेदारान के लिए उसके खातेदारी की कृषि भूमि खसरा संख्या 2707 पर आने जाने हेतु राजस्व रेकर्ड में कोई रास्ता अंकित नहीं है जिससे प्रार्थीगण व उनके संयुक्त खातेदारान उसके खातेदारी की कृषि भूमि में आवागमन अप्रार्थी संख्या 1 ता 6 के खातेदारी की कृषि भूमि खसरा संख्या 2708, 2708/1 और राजकीय बिलानामा पडत भूमि खसरा नम्बर 2701 की भूमि में से (सलग्न नक्शे में वर्णित ए से बी रास्ते से) पिछले कई वर्षों से आते जाते रहे है और उक्त ऐ से बी रास्ते का उपभोग भी पिछले कई वर्षों से करते आ रहे है लेकिन राजस्व रेकर्ड में उक्त भाग रास्ते के रूप में अंकित नहीं होने से प्रार्थीगण व उनके संयुक्त खातेदारान को अपनी कृषि भूमि पर आने जाने मवेशी, ट्रेक्टर, बैलगाड़ी लाने ले जाने हेतु कई बार समस्याओ का सामना करना पड़ता है, प्रार्थीगण गरीब काश्तकार व्यक्ति है जिनके पुरे परिवार का भरण पोषण उक्त कृषि भूमि की आय से होता है ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण व उनके संयुक्त खातेदारान को अपनी कृषि भूमि पर आवागमन हेतु रास्ते की शक्त आवश्यकता है। प्रार्थीगण व उनके संयुक्त खातेदारान को अपने खातेदारी की उपरोक्त कृषि भूमि पर आने जाने, फसल बोने, जोतने हेतु ट्रेक्टर एवम् बैलगाडी लाने ले जाने हेतु कदीमी से कोई रास्ता राजस्व रेकर्ड में एंव मौके पर मौजूद नहीं हैं जिससे प्रार्थीगण व उनके संयुक्त खातेदारान को अपनी आराजी पर आने जाने में कई बार परेशानीयो का भी सामना करना पडता है। संलग्न नक्शा ट्रेस में दर्शाये मार्क ए से बी वाले हिस्से को प्रार्थीगण व उनके संयुक्त खातेदारान के लिए रास्ते हेतु उपलब्ध कराया जाता हैं तो प्रार्थीगण को अपनी आराजी पर आने जाने हेतु और काश्त करने जाने हेतु आसानी से रास्ता मिल जावेगा, उक्त रास्ते के जरिये प्रार्थीगण अपनी आराजी पर ट्रेक्टर, बैलगाड़ी, पशुओं को भी आसानी ला ले जा सकेगा। उक्त [illegible] कायम किये जाने से अप्रार्थीगण की कृषि भूमि को भी कोई नुकसान नहीं होगा, अप्रार्थीगण की आराजी [illegible]वत रूप में रहेगी। अतः प्रार्थीगण ने निवेदन किया कि प्रार्थीगण का उपरोक्त [illegible] ग्राम मनादर पटवार हल्का मनादर–2. भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र कैलाशनगर तहसील शिवगंज जिला सिरोही (राज.) में स्थित प्रार्थीगण व उनके संयुक्त
खातेदारान के खातेदारी और कब्जे काश्त की कृषि भूमि [illegible]रा संख्या 2707 पर आने जाने हेतु खसरा संख्या 2708, 2708/1 और राजकीय बिलानाम पडत भूमि खसरा नम्बर 2701 की कृषि भूमि में दर्शाए संलग्न राजस्व नक्शा ट्रेस अनुसार मार्क A to B हिस्से में 20 फिट चौडा और मौके अनुसार लम्बे रास्ते को नियमानुसार राजस्व रेकर्ड में रास्ता अंकित किए जाने के आदेश पारित करना फरमावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Neeraj Mishra
Date: 2025.10.27 13:05:55 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
शिवगंज (सिरोही)

.... शेष पेज संख्या दो पर

प्रकरण सं0 68/2024
हिन्दुराम व अन्य बनाम तैजाराम वगैरह
अन्तर्गत धारा 251(ए) आर.टी.एक्ट

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दिनांक 11.12.2024 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगणों को नोटिस जारी किये गये एवं तहसीलदार शिवगंज को मौका जॉच रिपोर्ट हेतु पत्र क्रमाक 639 दिनाक 12.12.2024 को जारी कर मौका जॉच रिपोर्ट चाही गई। दिनांक 05.03.2025 को अप्रार्थी सं0 1 ता 5 की और से अधिवक्ता श्री दिलीपसिंह देवडा ने जवाब पेश किया। व इसी दिन अप्रार्थी सं0 6 ने प्रार्थना पत्र का जवाब पेश नहीं करने से उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई। दिनांक 7.5.2025 को तहसीलदार शिवगंज के पत्र क्रमांक 207 दिनांक 16.04.2025 के द्वारा रास्ते का प्रस्ताव पेश किया। तहसीलदार शिवगंज ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि प्रार्थीगणों को रास्ते की अत्यधिक आवश्यकता है। व उपरोक्त खातेदारी में प्रवेश का अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग नहीं है। प्रार्थीगणों के आराजी में आने जाने हेतु ग्राम मनादर–2 के खसरा नं0 2708 रकबा 0.8822 हैक्टयर में से दिया जाना उचित बताया है प्रस्तावित रास्ता 48 मीटर लम्बा तथा 6 मीटर चौडा है जिसका कुल क्षैत्रफल 288 वर्गमीटर बनता है। जो निकटवर्ती सरकारी रास्ता खसरा से जुडता है। तथा लधुत्तम दूरी पर है। व दिनांक 09.05.2025 को प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रस्ताव का अवलोकन कर तहसीलदार शिवगंज द्वारा भिजवाये गये रास्ते के प्रस्ताव पर अपनी बहस की व अपनी सहमति प्रदान की गई। अप्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थी अधिवक्ता के बहस का खण्डन करते हुए बताया कि प्रार्थीगण ने अपनी राजस्व आराजी में आवागमन हेतु जो रास्ता मांगा है। उस रास्ते यानि खसरा नं. 2701 बिलानाम भूमि का उपयोग व उपभोग वर्तमान में भी प्रार्थीगण करते आ रहे है। अगर प्रार्थीगणों को उक्त खसरा नं0 2701 बिलानाम भूमि से रेकर्डेड रास्ता दिया जावे तो अप्रार्थीगणों को कोई आपत्ति नहीं है। प्रार्थीगण ने 2708/1 की भूमि से रास्ते की मांग की है वो विधि सम्मत नहीं है। क्योंकि प्रार्थीगण की राजस्व आराजी में पूर्व से ही खसरा नं0 2701 बिलानाम भूमि से आवागमन हेतु रास्ता उपलब्ध है तथा विधि का प्रतिपादित सिद्वान्त है कि राजस्व भूमि में आवागमन हेतु अगर पूर्व से कोई रास्ता उपलब्ध है तो अन्य खातेदार की भूमि में से रास्ता नहीं दिया जा सकता है।

हमनें पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य एवं तहसीलदार शिवगंज द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी के पास अपनी खातेदारी भूमि में पंहुच हेतु कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता लधुत्तम दूरी पर स्थित है, रास्ते की अत्यंत आवश्यकता सिद्ध की है, जिससे प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों के अनुसार प्रार्थी को रास्ता उपलब्ध कराया जाना न्यायसंगत है।

कसं0	खातेदार का नाम	खसरा नं0	खसरे में प्रस्तावित रास्ते का क्षैत्रफल	डीएलसी दर	डीएलसी दर के कीमत रूपये	प्रार्थीगणों द्वारा जमा कराने योग्य दुगुनी राशि
1	जेठाराम पुत्र तलसाराम जाति कलबी व अन्य निवासीगण मनादर तह. शिवगंज जिला सिरोही	2708	48X6=288 वर्गमीटर	349000 रू0 प्रति0 हैक्टयर	10051	20,102/–रूपये अक्षरे बीस हजार एक सौ दो रूपये मात्र।

अतः तहसीलदार शिवगंज को आदेशित किया जाता है कि संलग्न नजरी नक्शा एनेक्चर–1 के अनुसार प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी भूमि मौजा मनादर–2 तहसील शिवगंज के खसरा नम्बर 2704, 2705, 2706, 2707 रकबा क्रमशः 5.2771, 0.3318, 0.0243, 14.0426 कुल किता 4 कुल रकबा 19.6758 हैक्टेयर भूमि में आने जाने हेतु मौजा मनादर–2 के उपर सारणी के अनुसार भूमि में से पंहुचने हेतु मौजा मनादर–2 के खसरा नं0 2708 रकबा 0.8822 हैक्टयर में से 6 मीटर चौडा एवं 48 मीटर लम्बाई की डीएलसी दर 3,49,000/–रूपये प्रति हेक्टयर होने से राशि 10051/–रूपये होती है जिसकी **दुगनी राशि 20102/–(बीस हजार एक सौ दो) रूपये** का भुगतान प्रार्थीगणों द्वारा संबंधित अप्रार्थीगणों को जमा कराने या खातेदार द्वारा राशि नहीं लेने पर उक्त राशि तहसील के राजकोष में जमा कराने के पश्चात ही खातेदारी भूमि में से कम की जाकर रास्ता भूमि को राजस्व रेकर्ड में **किस्म गैर मुमकीन रास्ता सरकारी बिलानाम** खाते में दर्ज की जावे। प्रस्तावित संलग्न नजरी नक्शा **एनेक्चर–1** को आदेश का अभिन्न अंग माना जावे। आदेश खुले न्यायालय मे सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

यह आदेश आज दिनांक 14.05.2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Neeraj Mishra
Date: 2025.10.27 13:05:55 IST
Reason: SelfAttested

(नीरज मिश्र)
सहायक कलक्टर
शिवगंज
सहायक कलक्टर शिवगंज (सिरोही)

क्रमांक/कोर्ट/2025/ 278
दिनांक 14.05.2025

प्रतिलिपिः–

तहसीलदार शिवगंज को एक माह में पालना कर रिपोर्ट आवश्यक रूप से भिजवाने हेतु प्रेषित है।

सहायक कलक्टर
शिवगंज
सहायक कलक्टर शिवगंज (सिरोही)

नक्शा ट्रेस
ग्राम - मनादर -2
तह - शिवगंज

हिन्दुराम
(हिन्दुराम पुत्र कानाजी)

(सरूपाजी पुत्र केसाजी)

(खेताजी पुत्र धरमाजी)

(लाकमाजी पुत्र दिपाजी)

(कुयाजी पुत्र कसनाजी)
भजाराम

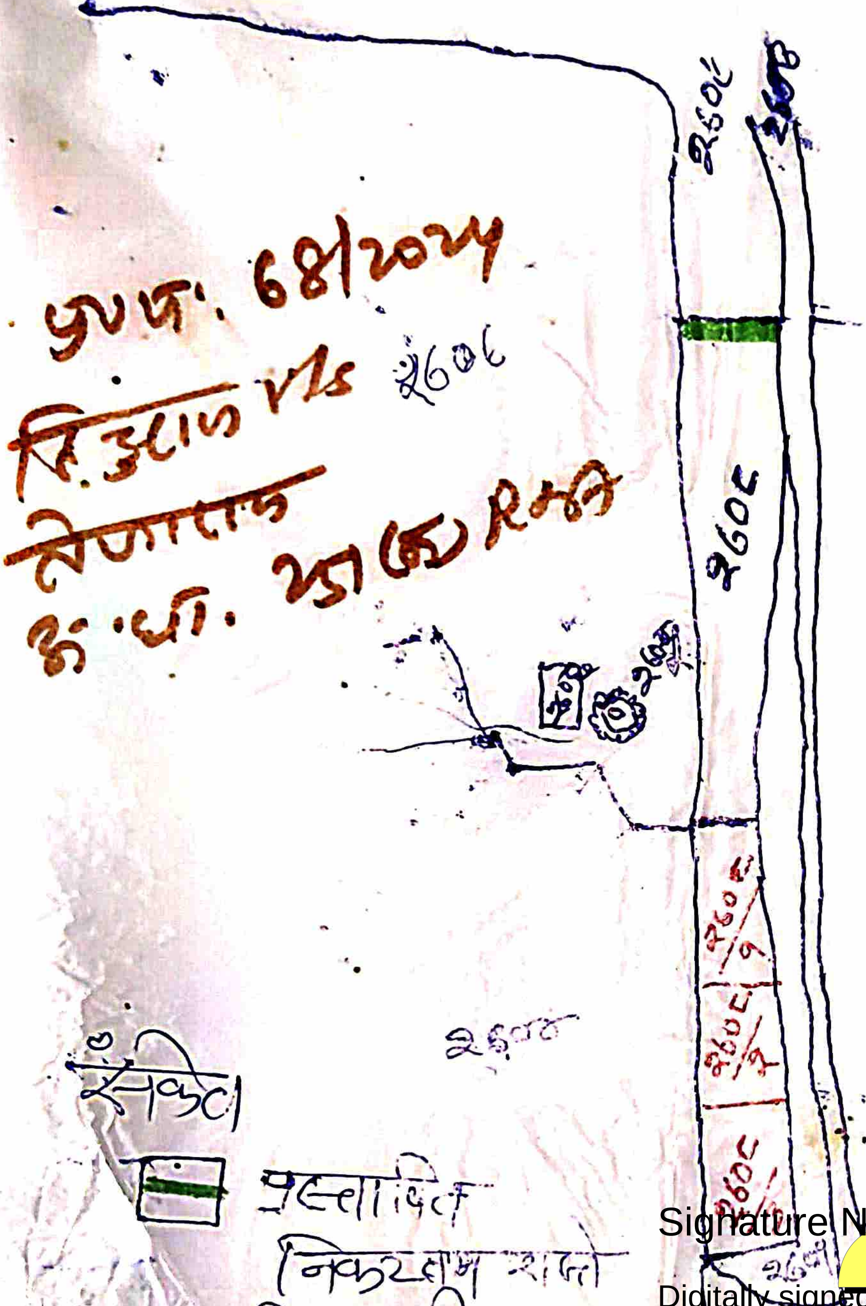

संकेत
प्रस्तावित निकटतम रास्ते हेतु भूमि
लम्बाई 48 मीटर x चौड़ाई 06 मीटर
अर्थात 288 वर्गमीटर

पटवारी 04/04/25
प. मनादर

स्वीकार

भू-अभिलेख निरीक्षक
सहायक कलक्टर शिवगंज (सिरोही)
04/04/2025

Signature Not Verified
Digitally signed by Neeraj Mishra
Date: 2025.10.27 13:05:55 IST
Reason: SelfAttested